

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

दिनांक

फर्द अहकाम

सुं. 35/15 लारीरव रजु 7-7-15

उपनाम - सुन्दो बनाम सुन्दुसांको मेशापट्टीमुर्द

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थनापत्र की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा व श्री बेनीशान व पारीरव ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र की सतर्फा बहस सुनी गयी। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थना के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः जे. सा. प. लान को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी सुनवाई तिथि तक पाबन्द किया जाता है।

कि ग्राम मेशा पट्टी मुर्द की आराजी सं. नं. 1082

1083	1103	1104/1266	1106	1107	1108	1109	1109/1265	1110
0.19	0.14	0.10	0.20	0.43	0.11	0.57	0.05	0.10
1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1125
0.30	0.10	0.11	0.06	0.08	0.01	0.10	0.55	0.54
1126	1132							
0.20	0.42							

1133 हे अग्रिमों विक्रय व रहन बही कर जे. सा. प. लान की अग्रिम नोटिस से तलब कर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली दिनांक 17.8.15 को पेश हो।

1542
7.7.15

17.8.15 आवकाश

18.8.15 जर्जी वकील उप. अग्रिमों ब्यजद उप. नही। P.O. सा. प. लान उपनाम मार्ग में वस्तु ही वस्ते अग्रिम आदेश दि. 14.9.15 को पेश हो

4.9.15 जर्जी वकील उप. अग्रिमों की कोर्ट से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा सुनवाई ने पत्रावली नामा पेश किया। वस्ते आवकाश दिनांक 19-10-15 को पेश हो



न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
28.5.19	वकुलाय उप०। गतानुसार वास्ते बहस दिनांक 24-6-19 को पेश होके
24.6.19	वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 25.7.19 को पेश हो। <i>जा</i>
25.7.19	गार्गी की ओर से श्री सुनील कुमार जिंदल Adv. ने नया बकालत मगाना पेश किया। अगर्गी बकालत उप०। वास्ते बहस दिनांक 8.8.19 को पेश हो। <i>जा</i>
8.8.19	वकुलाय उप०। बकालत गार्गी ने दस्तावेज पेश किया जिन्हे शामिल किया गया। बकालत उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 21.8.19 को पेश हो। <i>जा</i>
22.8.19	वकुलाय उप०। P.O. साहब करौली पधारे है, गतानुसार वास्ते आदेश दिनांक 22.8.19 को पेश हो। <i>जा</i>
22.8.19	बकालत उभयपक्ष उपस्थित। बकालत उभयपक्ष की बहस पर मनन करते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। दिनांक 7.7.15 को जारी की गई अंतरिम अर्थात् निवेधाज्ञा को दावा के निस्तारण तक कन्फर्म करना उचित पाता हूँ। अतः जैरसायल को दावा के निस्तारण तक अर्थात् निवेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम गैसां पट्टी खुद स्थित भूमि खसरा नम्बर $\frac{1082}{0.37}$, $\frac{1083}{0.19}$, $\frac{1103}{0.14}$, $\frac{1104/1266}{0.10}$, $\frac{1106}{0.20}$, $\frac{1107}{0.43}$, $\frac{1108}{0.11}$, $\frac{1109}{0.57}$, $\frac{1109/1205}{0.05}$ <i>जा</i>

नं. 115 अन्त

33/11-


यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

$\frac{1110}{0.10}$, $\frac{1114}{0.30}$, $\frac{1115}{0.10}$, $\frac{1116}{0.11}$, $\frac{1117}{0.06}$, $\frac{1118}{0.08}$, $\frac{1119}{0.01}$, $\frac{1120}{0.10}$, $\frac{1121}{0.55}$

$\frac{1125}{0.54}$, $\frac{1126}{0.20}$, $\frac{1132}{0.42}$, $\frac{1133}{0.39}$ का रहन विक्रय नहीं करे।

पत्रावली केवल शुमार होकर नम्बर से कम रकम दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।


(दुर्गा प्रसाद भीमा)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (कौली)